



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276292
CG-DL-E-17092026-276292

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4910]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948

No. 4910]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

का.आ. 5101(अ).— केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 और धारा 17क के साथ पठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 6क और 6घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 99(अ), तारीख 7 जनवरी, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में “समयावधि में संचालित किया जाएगा” शब्दों के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह कि असम राज्य के चराईदेव और शिवसागर जिलों के संबंध में, भारत की जनगणना 2027 के लिए मकानसूचीकरण प्रचालन की अवधि 31 अक्टूबर, 2026 तक विस्तारित की जाएगी।”

[फा. सं. 9/8/2025-सीडी (सेन)]

मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of Registrar General, India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2026

S.O. 5101(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948), read with rules 6A and 6D of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 99(E), dated the 7th January, 2026, namely:-

In the said notification, after the words “Houselisting operations of thirty days” the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that in respect of the Charaideo and Sivasagar districts of the State of Assam, the period of houselisting operations of the Census of India 2027 shall be extended upto 31st October, 2026.”

[F. No. 9/8/2025- CD (Cen)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General of India and Census Commissioner